

का वाद लिखी करमाया जाव ।

हे लिस संशोधन करवाकर मांगीलाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है वादी संख्या 1 का सही नाम मांगीलाल है राजस्व रिकार्ड में सहवन से मांगीलाल, मांगीराम दर्ज काइतकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है एवं वादी के पिता प्रतिवादी वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार अतः वादी का वाद लिखी किया जाकर घोषणा की जाव की प्रतिवादी संख्या 1 जो करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है ।

उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के एक हिस्सा की भूमि को रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है ।

इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का एक हिस्सा है लिस राजस्व हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है । प्रतिवादी संख्या 2, ता 5 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने अपने एक प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 वादी को बहन है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है संख्या 1 के साथ बराबर का एक हिस्सा है ।

हे लिसके कारण पूर्वक सम्पत्ति है लिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी दादा आशाराम पुत्र बेगाराम के देहान्त होने के बाद विरासन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई ।

दर्ज भी वादी के दादा आशाराम पुत्र बेगाराम के देहान्त होने पर वाद विरासन से वाद भूमि उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा आशाराम पुत्र बेगाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में से दर्ज है ।

0510हैव में से 2/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1, 157/2 की 7.0320हैव व खसरा नं० 297/7.4490, खसरा नं० 322/6.5000 कुल 27. की सही मौजा दर्जना के खाता संख्या 113/112 के खसरा नं० 137/2 की 6.0700 राजस्थान काइतकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने लिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत

निर्णय दिनांक :- 06/13/2020

धरोकार राज

उपरिष्ठत : श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादी

राजस्थान काइतकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

प्रतिवादीगण

1. मांगीलाल पुत्र आशाराम जाति जागिड ब्रह्मण्य निवासी दुर्जाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
2. सुमन 3 सुनिता 4 सीता 5 पुनम पुत्रीयान मांगीलाल जाति जागिड ब्रह्मण्य निवासी दुर्जाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
6. राजस्थान सरकार लिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

**बनाम**

वादी

1. श्रवण कुमार पुत्र मांगीलाल जाति जागिड ब्रह्मण्य निवासी दुर्जाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।

अवधान :-

वाद सं० : 122 सन 2019

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री रवला कोचर (आर०ए०ए०ए०)

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जयि

समन ललब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 का 5 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के

वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन

किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता आशाराम पुत्र बेगाराम के देहान्त होने पर

विरासन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 5 का बराबर का एक

हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 का 5, जो वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री

है ने निवेदन किया की उन्होंने अपने एक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों/पिता वादी एवं

प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी

संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं

है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाला दावा पेश किया गया। इकबाल दावा तर्दीक

किया जाकर शान्ति मिल गया एवं प्रतिवादी संख्या 6 परेकार राज ने जबाब पेश किया

की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सर्तों के आधार पर राज जवाब दकों को सुरक्षित रखते हुए

निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शान्ति मिल गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता

नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह

नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते

हुए निवेदन किया की यही मौजा दर्जाना के खाता संख्या 113/112 के खसरा नं०

137/2 की 6.0700, 157/2 की 7.0320 है व खसरा नं० 297/7.4490, खसरा नं०

322/6.5000 कुल 27.0510 है व से 2/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के

पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा आशाराम पुत्र बेगाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में

दर्ज थी वादी के दादा आशाराम पुत्र बेगाराम के देहान्त होने पर वाद विरासन से वाद भूमि

उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के

दादा आशाराम पुत्र बेगाराम के देहान्त होने के बाद विरासन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई

है जिसके कारण पूर्वक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 5 का प्रतिवादी

संख्या 1 के साथ बराबर का एक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 का 5 वादी की बहन है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है

प्रतिवादी संख्या 2 का 5 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 5 ने अपने एक

हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है।  
इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का एक हिस्सा है तथा वादी के  
पिता का नाम मंगीलाल है किन्तु राजस्व रिकार्ड में मंगीलाल व मंगीराम दर्ज है जिससे  
संशोधन करवाकर मंगीलाल दर्ज करवाने के अधिकायी है जिस राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा  
पाने के अधिकायी है।  
वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 का 5 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश  
किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के समक्ष में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों  
के समक्ष में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पैज 615 एवं आर.आर.डी वर्ष 1998 पैज  
646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति/राजीनामा  
के आधार पर अपने दकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद जिक्री करमाया  
निस्तारण करमावे।  
परेकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पूर्वक सम्पत्ति का वाद पेश  
किया है वादी के साक्ष्य सर्तों के आधार पर राज जवाब दकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का  
निस्तारण करमावे।  
हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के  
अनुसार यही मौजा दर्जाना के खाता संख्या 113/112 के खसरा नं० 137/2 की 6.0700  
, 157/2 की 7.0320 है व खसरा नं० 297/7.4490, खसरा नं० 322/6.5000 कुल 27.

उपखण्ड अधिकांशी (राजस्व)  
 नहर (हनुमानगढ़)

सिनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 06/3/2020

को भेदे द्वारा लिखाया जाकर बसरे डेजलस में

की जाकर बाद तत्पश्चात् तत्कालीन जाबा दाखिल दफतर हो।

इसी आशय की पर्चा जिसकी जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रवाली नम्बर से कम रहनमस्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे लय बाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। 5000/- रु स्टम्प तत्कालीन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु डेजराय प्रार्थना पत्र के सनन कारतकार धारित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का नाम मानीलाल संशोधित किया के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार न0 322/6.5000 कुल 27.0510 है व से 2/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी खसरा न0 137/2 की 6.0700, 157/2 की 7.0320 है व खसरा न0 297/7.4490, खसरा किया जाकर धारणा की जाती है कि रोही मौजा दर्जना के खाता संख्या 113/112 के साथ सर्त एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर बाद वादी साबित होने के कारण जिसकी करने एवं प्रकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा वादी के बाद को स्वीकार न्यायित है।

किये जाने के कारण राजस्व रिकार्ड की सुरक्षा के मध्यनजर स्टम्प ड्यूटी कायम की जानी होने के कारण काबिल जिसकी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपने हकों का त्याग सर्त एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों को प्रकरण पर बस्था होने है के आधार पर बाद वादी साबित वादी के बाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साथ किया जाकर शामिल मिसल किया जा चुका है।

आदेश फरमावे अपने कथनों के समर्थन में डूकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक व वादी के पिता का सही नाम मानीलाल है सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के लिये उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है किया जा चुका है इसलिये बाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है उन्हीने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के बाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 स्वयं वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 जो वादी की बहने है ने अपने हक

वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बहिब के हकदार है। हिस्सा है अर्थात् दादा की सम्पति में पौत्रे/पौत्रियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात् है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6, 8 के अनुसार पौत्रक सम्पति में वादी का हक विरासन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पौत्रक सम्पति होने साबित बाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है नाम से दर्ज है वादी के दादा आशाराम पुत्र बेगाराम के देहान्त होने के बाद विरासन से बेगाराम के नाम से दर्ज थी अर्थात् बाद भूमि पूर्व में वादी के दादा आशाराम पुत्र बेगाराम के नामान्तरण संख्या 230,307 रोही मौजा दर्जना के अनुसार बाद भूमि आशाराम पुत्र

से दर्ज है। 0510 है व से 2/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1

## पर्वी डिक्री

( आर्डर 20, कल 6-7 जाळा दिवाणी )

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर**

अनवान :-

1. श्रवण कुमार पुत्र मांगीलाल जाति जागिड ब्रह्मन् निवासी दुर्जाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र आशाराम जाति जागिड ब्रह्मन् निवासी दुर्जाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. सुमन 3 सुनिता 4 सीता 5 पुनम पुत्रीयान मांगीलाल जाति जागिड ब्रह्मन् निवासी दुर्जाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. राजस्थान सरकार जारिय तहसीलदार राजस्थान नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान कायदाकाटी अधिनियम 1955**

**राजस्थान वाद संख्या 122 सन 2018 निर्णय दिनांक- 06/3/2020**

आज यह वाद मुझ बचत कोषर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्थान ) नोहर के समक्ष

अधिवक्ता वादी एवं परीकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने

पर वाद वादी साक्ष्य सर्जती एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के

कारण वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा दर्जाना के खाता

संख्या 113/112 के खसरा नं0 137/2 की 6.0700, 157/2 की 7.0320 है व खसरा नं0

297/7.4490, खसरा नं0 322/6.5000 कुल 27.0510 है व से 2/3 हिस्सा भूमि वर्तमान

राजस्थान रिफाई में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है के वादी व प्रतिवादी संख्या 1

बहिष के खातेदार कायदाकार धोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का नाम

मांगीलाल संशोधित किया जाता है इसी अनुसार राजस्थान रिफाई में अंकन करने हेतु इंजराय

प्रधाना पत्र के सलान 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के

रहन ही तो वाद रहनमुक्त राजस्थान रिफाई में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना

अपना वहन करेगे।

पर्वी डिक्री आज दिनांक 06/3/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी

की गई।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्थान )  
नोहर ( हनुमानगढ )